न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हॅसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 92/2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1– गणेशपुत्र सोमाजी जाति कुम्हार 2– रमेशकुमार पुत्र सोमाजी जाति कुम्हार सभी निवासीयान कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही जिला सिरोही

उपस्थित :–
1–प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र पुरी
2–अप्रार्थी स्टेट तह.सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश दिनांक 10–11–2020

प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि 20–8–2018 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण व सहखातेदार के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा ग्राम कालन्द्री तहसील सिरोही मे खसरा नंबर 1054 रकबा 2.1900 हैक्टेयर आई हुई है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी जो प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी है जिस पर प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार काश्त करते आ रहे है एवं मौके पर काबिज है जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2066–2069 मे दज रकर्ड अनुसार जमांदी से स्पष्टतया साबित है एवं प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आरिजी मे अन्य का नाम राजस्व अधिकारियों को दर्ज करने का कोई कानूनी हक अधिकार नही है तथा न ही राजस्व रेकड मे नाम हटाने का कोई अधिकार है। प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार की कृषि आराजी मे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2066–2069 मे जो कृषि आराजी खसरा नंबर 1054 जो प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकड जमाबंदी मे बतौर खातेदारी दर्ज थी लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा संवत 2070–2073 की जमाबंदी तैयार करते समय बिना किसी अधिकार के गलत व [illegible] तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि आराजी मे दर्ज नाम [illegible] विभाग सिरोही के नाम दर्ज कर दि उक्त त्रुटि राजस्व अधिकारियों द्वारा [illegible] की गई है उक्त त्रुटि मे पुनः सुधार कर पुनः राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार [illegible] दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह भी निवे[illegible]या है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि आराजी किसी अन्य को बेचान नही की है एवं न ही उक्त कृषि आराजी अवाप्त की गई है तथा न ही अवाप्ति की कार्यवाही अमल मे लाई गई है। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नंबर 1054 मे राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:25 IST
Reason: SelfAttested

जमांबदी मे सुधार कर प्रार्थीगण व अन्‍ सहखातेदार का नाम पूर्व की भाति अनुसा संशोधन करने बाबत आदेश पारित करना फरमावें ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णि जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता संख्या नया 1207 तथा जमाबंदी संव 2066–2069 खसरा नंबर 1054 खाता संख्या 700 खसरा नंबर 476, 1054 खसरा नक्श किश्तवार नकल का अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथ दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 20–8–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदा सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी का उक्त नोटि न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 17–9–2018 को तामिलशुदा प्राप्त होने से शा.मि किया गया। विचाराधीन प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 10–8–202 को अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदा कालन्द्री द्वारा प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार ना.तह.कालन्द्री ने अपने उक्त जवाब दिनांक 2 7.2020 के माध्यम से निवेदन किया कि मौजा कालन्द्री के खसरा नंबर 1054 रकबा 19 हैक्टेयर किस्म बा.III राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता संख्या 120 में जल संसाधन विभाग सिरोही के नाम दर्ज है जो कि दिनांक 8–2–2018 को जरि नामान्तकरण संख्या 840 स्वीकृत होने पर रेकर्ड मे दर्ज हुआ है जो श्रीमान भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय सिरोही के आदेश क्रमांक/अवाप्ति/96/330 दिनांक 24–5–96 द्वारा एवं तहसीलदार सिरोही के आदेश क्रमांक /भू.अ./18/254–56 दिनां 24–1–2018 की पालना मे नामान्तकरण भरा जाकर स्वीकृत हुआ है। अतः उक प्रकरण अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट का नही बनता है। जवाब के संलग्न नामांतकर संख्या 840 की प्रति भी प्रस्तुत की गई है।

विचारण प्रार्थना पत्र अ.धा 136 एल.आर.एक्ट का वकील प्रार्थी व अप्रार्थ स्टेट ना.तह.सिरोही की दिनांक 6–11–2020 को इस न्यायालय मे अंतिम बहस हे रखा गया जिस पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार ना.तहसीलदार सिरोही न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । वकील प्रार्थ ने दौराने बहस फार्म नंबर 3 मे वर्णित रजिस्र्टड ए.डी.नोटिस दिनांक 5–10–2018 व प्रतियॉ तथा कार्यालय अधिशाषी अभियंता जलसंसाधन खण्ड सिरोही के पत्र क्रमां 4673 दिनांक 11.9.2018 की फोटोप्रतियॉ प्रस्तुत की जिसे संलग्न पत्रावली किया गय विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी द्वारा बहस में कथन किया कि प्रार्थी के खसरा नंब 1054 पुराना खसरा नंबर 726 पर बिना अधिकार के एवं बिना सुनवाई कें जल संसाध विभाग सिरोही के नाम नामांतकरण दर्ज किया गया है। विभाग द्वारा प्रार्थी गण व किसी प्रकार की अवाप्ति बाबत सूचना या नोटिस एवं मुआवजा नहीं दिया गया। ऐ स्थिति में उक्त भूमि रिकार्ड दुरुस्ती के माध्यम से पुनः प्रार्थीगण के खातेदारी में द किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। प्रकरण में सरकार जरिये तहसीलदार सिरो की ओर से प्रस्तुत जवाब दिनांक 28.7.2020 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकर में वर्णित खसरा नंबर 1054 ग्राम कालन्द्री तहसील सिरोही भूमि अवाप्ति अधिका सिरोही के आदेश क्रमांक/अवाप्ति/96/330 दिनांक 24.5.1996 की पालना तहसीलदार सिरोही के आदेश क्रमांक/भूअ/254–56 दिनांक 24.1.2018 की पाल ग्राम कालन्द्री का नामान्तकरण संख्या 840 भरा जाकर स्वीकृत किया गया है जिस किसी प्रकार की अनियमितता प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रार्थना पत्र व बहस में उल्लेखित बिन्दु जिसमें वर्णित किया है कि बिना अधिकार आदेश के नामान्तकरण भरा गया है मिथ्या सिद्ध होता है। प्रार्थी की खातेदारी खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:25 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी

नंबर 1054 विधिवत नामान्तकरण की प्रक्रिया के द्वारा जल संसाधन विभाग सिरोही के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ है जो वर्तमान चालू रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है। वकील प्रार्थी द्वारा अधिशासी अभियंता जल संसाधन खण्ड सिरोही के द्वारा श्री रमेश कुमार सोमाजी को जारी सूचना पत्र दिनांक 11.9.2018 में उल्लेखित अनुसार बरलूट सिंचाई परियोजना के लिये राज्य सरकार द्वारा अवाप्त भूमि के लिये केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अधीन अवाप्त की गई है जिसमे खसरा नंबर 726 रकबा 13.1 बीघा किस्म बा–ा अवाप्ति में शामिल की जाकर अवार्ड पारित किया गया था।

हमने विचारण प्रकरण मे प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात प्रतियों व जवाब तहसीलदार, सिरोही के अवलोकन व बहस को गहनतापूर्वक सुनकर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत 136 एल.आर.एक्ट के द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती चाही है लेकिन प्रार्थीगण का नाम विधिवत आदेश व नामान्तकरण प्रक्रिया के निर्णय के पश्चात विलोपित किया गया है जो नियमानुसार अवाप्ति प्रक्रिया के परिणामस्वरूप दर्ज किया जाना जाहिर है। प्रार्थी द्वारा न तो भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं न ही अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड सिरोही को पक्षकार बनाया है। प्रार्थी को उक्त परियोजना बाबत भूमि अवाप्ति अधिकारी सिरोही के अवाप्ति आदेश अथवा जल संसाधन विभाग के पक्ष मे नामान्तकरण संख्या 840 के विरूद्व तत्समय अपील करनी चाहिये थी लेकिन प्रार्थीगण ने उक्त अवाप्ति आदेश के विरूद्व अपील नही कर अपूर्ण तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होवे नंबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरो
सिरोही (राजस्थान)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 10–11–2020 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरो
सिरोही (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:25 IST
Reason: SelfAttested